

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम (आर.ए.एस.) प्राथमिक डिब्री
अनवान

वादी
1. विनिता पत्नी उगराराम जाति
जाट निवासी रोहिली तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1 उत्ताराम पुत्र होथीराम 2 कुम्पाराम पुत्र नखताराम 3
गंगाराम पुत्र विरधाराम 4 चुनाराम पुत्र गांधीराम 5
ठाकराराम पुत्र रतनाराम 6 तिंडीदेवी पत्नी गांधीराम 7
दीनाराम पुत्र गांधीराम 8 दीषाराम पुत्र होथीराम 9 नैनु
पत्नी कुम्पाराम 10 नैनाराम पुत्र गांधीराम 11 पावूराम 12
बगताराम पिसारान मुकनाराम 13 रावताराम पुत्र
हरचन्द्रराम 14 सुन्दरदेवी पत्नी होथीराम जातियान
प्रजापत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर 15 समदा पत्नी हरचन्द्रराम जाति प्रजापत
नागडदा शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर 16 चुनीदेवी
पत्नी चन्दाराम 17 भीखीदेवी पत्नी रायचन्द्रराम जातियान
जाट रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 18
शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा
भाडखा 19 शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा
कवास 20 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

दावा बाबत 53 व 188 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 198/2024

निर्णय दिनांक :- 28/01/25

वकील वादीनी व वकील प्रतिवादी संख्या की उपस्थिति में इस वाद में आज
तारीख 28/01/25 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर
के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिब्री
निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादीनी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा रोहिली पटवार हल्का
कपूरड़ी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 322 रकबा 30.1409
हैक्टेयर भूमि में वादीनी का 45/931 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की
पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के
नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव
तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश
दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर
एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। कमीश्नर शुल्क रु. 1500/-
निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई। 28/01/25



(वीरमा राम)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर
(SDO), बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	